कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर,(पलामू)।

अभिलेख वाद सं0 396/2016-17

वाद का प्रकार :– **बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।**

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
8/12/20	अभिलेख उपस्थापित । झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सह–पठित– श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म............ ....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा गोरदिहा थाना नं0 271 खाता सं0 01 प्लॉट सं0 822 रकबा 0.37 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म.......................अनाबाद बिहार /झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट सं0 100 पर जमाबंदी रैयत दुरपत पासी S/o राम धनी पासी के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक 16.5.24 को उपस्थापित करें। 16.4.24 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में प्रभारी अंचल पदाधिकारी रसीद वर्ष 2004-05 मालगुजारी रसीद, वंशा., दखल कब्जा समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक ~~24-1-2023~~ 16.5.23 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पोस्टर मौजा नं0 231 खाता सं0 01 प्लॉट सं0 822 रकबा 0.37 डि0 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। उनका कोई आवेदन पत्र नहीं है। आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। परन्तु मांग निर्धारण किसी सक्षम पदाधिकारी S.D.O / L.R.D.C. से नहीं है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 1990-91 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी–II में कायम जमाबंदी सं0 100/I को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाल

चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू एवं छत्तरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म ज
दुरपत पासी s/o रामचन्द्र पासी	नौडीहा	231	07	822	0.37	गैरमजरूआ मालिक	रकबा कम हुआ है।

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– परती

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– पंजी–II संधारण वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– अधिकार कालम मे इस संबंध मे कोई विवरण दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– NA

7. अवैध जमाँबंदी कायम किये जाने का आधार
   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा – :– सादा हुकुमनामा

   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :– —

   (ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :– —

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/–रूपये से कम या इससे अधिक) :– —

RST

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

माँग पंजी-II एवं खतियान से मिलान किया

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- नहीं

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- प्रतिवेदित है कि मौजा — नवाडीह के खाता 07 प्लाट 822 रकबा - 0.37 ए. का माँग पंजी-II के पृ. सं. 100/I पर रूपन पासी S/o रामधनी पासी के नाम दर्ज है। खाता 7 गैरमजरूआ मालिक है खतियान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे प्लाट का किस्म स्पष्ट नहीं है। माँग कायम का कोई आधार दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा बाद हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया। परंतु लगान निर्धारण हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी (SDO/LRDC) का आदेश भी नहीं है। खाता-07 गैरमजरूआ मालिक है, ऐसे में माँग अवैध प्रतीत होता है। अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु सादर समर्पित।

R.S.I छत्तरपुर

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द नहीं करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा॰, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

खण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत
एवं कार्रवाई से संबंधित।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– दुरपत पासी s/o - रामधनी पासी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ...1... पृष्ठ सं. 100 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
नौडिहा	231	1	822	0.37 डी.

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– प्राधिकार कालम में वर्ष दर्ज नहीं है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरूआ मालिक

5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नहीं

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू–बंदोबस्ती) :– सादा हुकुमनामा

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)
:– चालू मांग पंजी - II एवं खतियान के आधार पर

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	620110	21.2.1979	78/79
2	308701	4.5.1981	81/82
3	548403	24/3/1988	87/88
4	208919	15/3/1991	90/91

राजस्व कर्मचारी

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 396 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम ढुरपत पासी

पिता - रामधनी पासी

....

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा मौडिहा थाना नं0 231 खाता सं0 1 खेसरा नं0 - रकबा 37 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 151 के पंजी-II भाग 1 के पृष्ठ 150 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2024.05.16 15:57:19 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2810:20fa:67c5:4148

इसे सख्त ताकिद जाने।

कार्यालय अंचल पदाधिकारी

08/12/22

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

कृष्णा चौधरी

मो0 नं0. 8809301214